# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

## (केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

### नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि हेतु जनपद न्यायालय, गोरखपुर के मुख्यालय परिसर स्थित फोटोकॉपी की दुकान सं.-04 (बहुमंजिला पार्किंग में भूतल पर यूनियन बैंक के ए.टी.एम. के बगल) की नीलामी हेतु सीलबंद नीविदा दिनांक 31.08.2024 के अपराह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। नीविदा किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर से दिनांक 30.08.2024 तक निर्धारित शुल्क मुव०-100/-रु. जमा कर प्राप्त की जा सकती है। नियत तिथि के उपरांत कोई नीविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त नीविदाओं को न्यायालय परिसर स्थित सभागार में दिनांक 02.09.2024 को सायंकाल 04:30 बजे नीविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा। सभी नीविदादाताओं को धरोहर के रूप में मुव०-20,000/-रु. की धनराशि नगद अथवा चेक के माध्यम से नीविदा के साथ केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा। संबंधित की निविदा स्वीकृत न होने की दशा में धरोहर धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस पर संबंधित को वापस कर दी जायेगी।

निविदा प्रक्रिया के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **www.allahabadhighcourt.in** एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur** पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निविदा से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।

22/8/24

(सुबोध वार्ष्णेय)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं.- 02,
गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. नाजिर आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3. नाजिर तहसील सदर, गोरखपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. सूचना पट्ट दीवानी न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
8. सिस्टम अधिकारी दीवानी न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।